राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961

(अधिनियम संख्या 19 ऑफ 1961)

(राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 22 जून, 1961 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व संबंधी स्थानों तथा प्राचीन वस्तुओं (Antiquities) के परिरक्षण (Protection), देखरेख (Upkeep), संधारण (Maintenance), अवाप्ति (Acquisition) तथा विनियमन (Regulation) के लिए तथा उन पर नियंत्रण रखने हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :- (1)** यह अधिनियम राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 कहलायेगा।

(2) यह संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को, जिसे कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा सरकारी गजट में नियत करें, प्रभावशाली होगा।

2. **परिभाषायें :-** इस अधिनियम में जब तक कि विषय अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) ''**प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक**'' से तात्पर्य किसी भी पुरातत्व संबंधी (Archarological) भवन संरचना (Structure), उच्छयण (Erection) या स्मारक या किसी भी समाधि स्तूप (Tumulus) कब्र या शव के गाड़ने के स्थान या किसी भी गुफा, चट्टानों पर खिंचे हुए चित्र या पत्थर धातु, पकाई हुई मिट्टी या अय अचल वस्तु की बनी हुई या उस पर बनी हुई मूर्तियां किसी भी लेख या मोनोलिथ (Monolith) जो ऐतिहासिक, पुरातत्व महत्व की या कलात्मक महत्व, रूचि या मूल्य का हो, से है और उसमें निम्नांकित सम्मिलित हैं-

(क) उसके कोई अवशेष,

(ख) उसका स्थान,

----

1. संख्या एफ. 4(36) एल.जे./ए./57-राजस्थान ऑफिशियल लेंग्वेज एक्ट, 1956 (47 ऑफ 1956) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान मॉन्यूमेन्ट्स आर्किलाजिकल साइटस एण्ड एन्टीक्विटीज एक्ट, 1961 (19 ऑफ 1961) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। (विज्ञप्ति दिनांक 13.07.1961)

(ग) ऐसे स्थान के पास की भूमि का भाग जो उसके परिरक्षण, रक्षा, देखरेख और संधारण के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो, और

(घ) वहां तक पहुंचने के तथा उन्हें सुविधापूर्वक देखने व मरम्मत करने के साधन: परन्तु इसमें सेन्ट्रल एक्ट में पारिभाषित ऐसा प्राचीन स्मारक, [1](जो उस अधिनियम के अधीन संरक्षित घोषित कर दिये गये है और इस प्रकार घोषित हैं,) सम्मिति नहीं है।

(2) ''**प्राचीन वस्तु**''-

(क) किसी भी सिक्के, मूर्ति, प्राचीन लेख, हस्तलेख, दस्तावेज, चित्र, तूलिका-चित्र, मुद्रित सामग्री या कला या कारीगरी की अन्य वस्तु,

(ख) ऐतिहासिक, पुरातत्व संबंधी या कलात्मक महत्व, रूचि या मूल्य की किसी भी वस्तु, पदार्थ या चीज जो कि रक्षित स्मारक से वियोजित की गई हो या रक्षित क्षेत्र में से इकठ्ठी की गई हो या खोजी गई हो,

(ग) अतीत काल के विज्ञान, कला, दस्तकारी, साहित्य, धर्म रीति-रिवाज, नैतिकता या राजनीति को निर्देशित (Illustrate) करने वाली किसी भी वस्तु पदार्थ या चीज, और

(घ) ऐतिहासिक पुरातत्व संबंधी या कलात्मक महत्व, रूचि या मूल्य की अन्य किसी भी वस्तु, पदार्थ या चीज से है:

और इसमें ऐसी कोई भी वस्तु, पदार्थ या चीज सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उसके ऐतिहासिक या पुरातत्व संबंधी महत्व के कारण इस एक्ट के प्रयोजनार्थ प्राचीन वस्तु घोषित करें परन्तु इसमें सेन्ट्रल एक्ट में परिभाषित ऐसी प्राचीन वस्तु सम्मिलित नहीं है [1](जो उस अधिनियम के अधीन संरक्षित घोषित कर दी गई है और इस प्रकार घोषित हैं,),

(3) ''**पुरातत्व अधिकारी**'' - से तात्पर्य राज्य के पुरातत्व विभाग के किसी ऐसे अधिकारी से है जो ऐसे पद से, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे नीचे का नहीं हो,

(4) ''**पुरातत्व संबंधी स्थान**'' - से तात्पर्य किसी भी ऐसे टीले से है जो प्राचीन आवास को सूचित करता हो या ऐसे किसी भी क्षेत्र से है जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्व संबंधी महत्व, रूचि या मूल्य के खण्डहर या अवशेष हों या जिनमें इनके होने के लिये युक्ति संगतरूप से विश्वास किया जाता हो और उसमें निम्नांकित सम्मिलित हैं:-

(क) उसके कोई अवशेष,

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क), दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''जिस पर तत्समय उस अधिनियम के उपलब्ध लागू होते हों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961

(ख) उसका स्थान,

(ग) ऐसे स्थान के पास की भूमि का भाग जो उसके परिरक्षण, रक्षा, देखरेख और संधारण के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो, और

(घ) वहां तक पहुंच के तथा उन्हें सुविधापूर्वक देखने व मरम्मत तथा खुदाई के साधन: परन्तु इसमें पुरातत्व संबंधी वे स्थान तथा अवशेष शामिल नहीं है जिनकी सेन्ट्रल एक्ट में परिभाषा की गई है और [1](जो उस अधिनियम के अधीन संरक्षित घोषित कर दिये गये है और इस प्रकार घोषित हैं);

(5) ''**सेन्ट्रल एक्ट**'' से तात्पर्य एन्शैन्ट मोन्यूमेन्ट्स एण्ड आर्किलोजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1958 (सेन्ट्रल एक्ट 24 ऑफ 1958) जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, से है;

(6) ''**संचालक**'' से तात्पर्य राज्य के पुरातत्व एवं अजायबघरों के संचालक से है और इसमें ऐसा कोई भी अधिकारी शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन संचालक के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाये;

(7) ''**संधारण (Maintain)**'' में, उसके व्याकरण संबंधी विभेदों (Grammatical variations) तथा सजातीय अभिव्यक्तियों (Cognate expressions) सहित किसी भी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक, किसी पुरातत्व संबंधी स्थान या किसी प्राचीन वस्तु के बाड़ लगाना, उसे ढकना, मरम्मत करना, पुनरूद्धार करना तथा साफ करा या ऐसे किसी भी कृत्य का करना सम्मितलित है जो ऐसे स्मारक, स्थान या प्राचीन वस्तु के परिरक्षण, रक्षा, देखरेख या विनियमन के लिए या आसानी से वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यक हों;

(8) ''**स्वामी (Owner)**'' में, यदि उसका प्रयोग किसी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व संबंधी स्थान या प्राचीन वस्तु के संबंध में किया जाये तो, निम्नांकित शामिल होगें :-

(क) ऐसा संयुक्त स्वामी जिसमें स्वयं की ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से ऐसे स्मारक, स्थान या प्राचीन वस्तु के या पर प्रबन्ध की शक्तियां निहित हों, और ऐसे किसी भी स्वामी का स्वत्त्व उत्तराधिकारी (Successor-in-title);

(ख) ऐसे प्रबंध की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी प्रबन्धक या न्यासधारी तथा ऐसे किसी भी प्रबंधक या न्यासधारी के पद का उत्तराधिकारी (Successor-in-office);

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क), दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''जिस पर तत्समय उस अधिनियम के उपलब्ध लागू होते हों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

(9)''**निर्धारित** (**Prescribed**)'' से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(10) ''**रक्षित** (**Protected**)'' से तात्पर्य जबकि इसका प्रयोग किसी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक या किसी पुरातत्व संबंधी स्थान में हो, ऐसे स्मारक या स्थान या स्थान से है जिसे धारा 3 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा रक्षित स्मारक या रक्षित क्षेत्र होना घोषित किया जाये;

(11) ''**रक्षित प्राचीन वस्तु**'' से तात्पर्य किसी ऐसी प्राचीन वस्तु से है जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई रक्षित प्राचीन वस्तु घोषित की जाये और इसमें खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में निर्देशित कोई भी वस्तु पदार्थ या चीज सम्मिलित है।

3. **स्मारक इत्यादि को रक्षित घोषित करने की शक्ति** :-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार -

(1) किसी भी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक को रक्षित स्मारक, या

(2) किसी भी पुरातत्व संबंधी स्थान को रक्षित क्षेत्र, या

(3) किसी भी प्राचीन वस्तु को रक्षित प्राचीन वस्तु, घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा 1 में निर्देशित ऐसी कोई भी घोषणा करने से पूर्व राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसा करने के अपने इरादे का दो महिने का नोटिस देगी और ऐसे नोटिस की एक नकल, उन कारणों, जिनके लिये ऐसी घोषणा किये जाने का प्रस्ताव है, के विवरण सहित उसे प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व स्थान, जिसे कि रक्षित घोषित किये जाने का प्रस्ताव है, पर या उसके निकट किसी सहजगोचर स्थान में या उस स्थान पर या उसके निकट जहां पर या जिसमें कि ऐसा स्मारक या प्राचीन वस्तु जिसे कि रक्षित घोषित किये जाने का प्रस्ताव है, फिलहाल स्थित है चिपकाई जावेगी।

(3) ऐसी किसी स्मारक, पुरातत्व संबंधी स्थान या प्राचीन वस्तु में रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, सरकारी गजट में ऐसी विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् दो महीनों के भीतर प्रस्तावित घोषणा पर आपत्ति उठा सकेगा।

(4) दो महिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर राज्य सरकार, उसके द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा

(1) किसी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक को रक्षित स्मारक,

(2) किसी पुरातत्व संबंधी स्थान को रक्षित क्षेत्र, या

(3) किसी प्राचीन वस्तु को रक्षित प्राचीन वस्तु, घोषित कर सकेगी।

[1]((4A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (3), where the State Government is satisfied with respect to any a monument archaeological site or antiquity, that there is immediate danger of its removal or destruction,

----

1. अधिसूचना सं. प.2(48)विधि/75 दिनांक 24.01.1976 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया। (परिशिष्ट-1)

It may instead of proceeding under the said subsections, by notification in the official Gazette [1](.....) forth with make a declaration under clauses (i) (ii) or (iii) as the case may be, of sub-section (4) in respect of any such monument, archaeological site or antiquity.

Provided that any person interested in any such monuments, archaeological site or antiquity may, within two months after the publication of such notification, object to the declaration so made and the State Government after giving to such person an opportunity of being heard, may be oder in writing dismiss the objection of withdraw the notification.)

(5) उप-धारा (4) के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति, जब तक कि वह वापिस नहीं ले ली जाये, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस तथ्य की निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व संबंधी स्थान या प्राचीन वस्तु, जिसके कि संबंध में वह है, एक रक्षित स्मारक, एक रक्षित क्षेत्र या एक रक्षित प्राचीन वस्तु है।

अध्याय-2

रक्षित स्मारक

4. **रक्षित स्मारक में अधिकार या उसका संरक्षण अवाप्त करना**-(1) राज्य सरकार की अनुमति से संचालक किसी भी रक्षित स्मारक को खरीद सकता है या उसको पट्टे (Lease) पर ले सकता है या उसका परिदान (Gift) या उसे वसीयत (Bequest) में दिये जाने पर ग्रहण कर सकता है।

(2) जहां कोई रक्षित स्मारक बिना किसी स्वामी के हो तो संचालक, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे स्मारक का संरक्षण ग्रहण कर सकता है।

(3) किसी रक्षित स्मारक का स्वामी किसी लिखित विलेख (Instrument) द्वारा, संचालक को ऐसे स्मारक का संरक्षक बना सकेगा और संचालक, राज्य सरकार की स्वीकृति से ऐसा संरक्षण स्वीकार कर सकेगा।

(4) जब संचालक उप-धारा (3) के अधीन किसी रक्षित स्मारक संरक्षण स्वीकार कर लेता है तो -

(क) उस स्मारक में या उस पर, इस अधिनियम में जैसा स्पष्ट रूप से प्रावहित है उसके अतिरिक्त, स्वामी की वही स्थिति, अधिकार, स्वत्त्वव समाहित रहेगा मानो संचालक को उसका संरक्षक नहीं बनाया गया हो, और

(ख) धारा 5 के अधीन निष्पादित करारों से संबंधित इस अधिनियम में प्रावधान उक्त उप-धारा के अधीन निष्पादित लिखित विलेख (Instrument) पर भी लागू होगे।

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क), दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द “words and for reasons of its satisfaction to be recorded in such notification” को विलोपित किया गया (w.e.f. 25.05.2007)

(5) इस धारा की कोई भी बात रूढ़िगत धार्मिक कृत्यों के लिए किसी रक्षित स्मारक के प्रयोग पर प्रभाव नहीं डालेगी।

5. **करार द्वारा रक्षित स्मारक का परिरक्षण** -(1) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देशित किये जाने पर कलक्टर रक्षित स्मारक के स्वामी को स्मारक के संधारण तथा देखरेख के लिए निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के साथ करार करने का प्रस्ताव करेगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी करार में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी बातों के लिए प्रावधान रखा जा सकता है, अर्थात-

(क) स्मारक का संधारण तथा उसकी देखरेख,

(ख) स्मारक की अभिरक्षा तथा ऐसे व्यक्ति के कर्तव्य, जिसे उसकी निगरानी रखने के लिए नियोजित किया जाये;

(ग) निम्नलिखित बातों के लिए स्वामी के अधिकार पर प्रतिबंध-

(1) किसी भी प्रयोजन के लिए स्मारक का प्रयोग करना, या

(2) स्मारक में प्रवेश करने या उसका निरीक्षण करने के लिए शुल्क वसूल करना, या

(3) स्मारक को नष्ट करना, हानि पहुंचाना, विकृत करना, बिगाड़ना, परिवर्तित करना, मरम्मत करना, हटाना या विच्छिन्न करना या उसका अपक्षय होन देना, या

(4) स्मारक के स्थान पर या उसके नजदीक निर्माण कार्य करना या

(घ) जनता या जनता के किसी भी वर्ग को या पुरातत्व अधिकारियों को या स्वामी या किसी भी पुरातत्व अधिकारी या कलक्टर द्वारा स्मारक का निरीक्षण या संधारण करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को आने जाने की सुविधायें मंजूर करन;

(ड.) स्वामी द्वारा उस भूमि, जिस पर स्मारक स्थित है, के या किसी भी निकटस्थ भूमि के बेचे जाने के लिए प्रस्तुत किये जाने की दशा में राज्य सरकार को नोटिस दिया जाना तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि को या ऐसी भूमि के किसी निर्दिष्ट भाग को, उसके बाजार भाव पर, खरीदने के अधिकार को आरक्षित रखना;

(च) स्मारक के संधारण तथा उसकी देखरेख के संबंध में स्वामी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्हीं खर्चों का भुगतान;

(छ) स्मारक के संधारण तथा उसकी देखरेख के संबंध में राज्य सरकार द्वारा खर्चे किये जाने की दशा में स्मारक के संबंध में राज्य सरकार में निहित होने वाले स्वामित्व (Proprietary) के या अन्य अधिकार;

(ज) करार से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को तय करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति;

(झ) स्माकर के संधारण तथा उसकी देखरेख से संबंधित कोई भी मामला जो स्वामी और राज्य सरकार के बीच करार करने का कोई उचित विष हो।

(3) इस धारा के अधीन करार की शर्तें, राज्य सरकार द्वारा, स्वामी की सहमति से, समय-समय पर परिवर्तित की जा सकेगी।

(4) इस धारा के अधीन करार किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार या स्वामी, दूसरे पक्ष को लिखित में छः महिनों का नोटिस देकर इसे (करार) समाप्त कर सकेगा;

किन्तु शर्त यह है कि जहां करार स्वामी द्वारा स्माप्त किया जाता है तो उसके स्वामी द्वारा, राज्य सरकार को वे खर्चें, यदि कोई हों, जो राज्य सरकार द्वारा करार की समाप्ति से ठीक पूर्व के पाँच वर्षों के दौरान, या यदि करार कम अवधि के लिए प्रभावशाली रहा हो तो करार के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान स्मारक के संधारण और देख-रेख के लिए किये गये थे, दिये जायेंगे।

(5) इस धारा के अधीन किये गये करार से ऐसा कोई भी व्यक्ति बाध्य होगा जो उस स्मारक का, जिसके कि संबंध में वह करार है किसी ऐसे पक्ष (Party), जिसके द्वारा या जिसकी ओर से करार निष्पादित किया गया था, से, के मार्फत या के अधीन स्वामी होने के लिए अध्यर्थन करता है।

6. **अशक्त स्वामी** -(1) किसी रक्षित स्मारक के स्वामी के शैशवावस्था या अन्य अशक्तता के कारण अपने लिए काम करने के लिए अयोग्य होने की दशा में, उसकी ओरसे काम करने के लिए जैविक रूप से सक्षम व्यक्ति तथा ग्रामक सम्पत्ति होने की दशा में ऐसी सम्पत्ति का या ऐसी सम्पत्ति पर प्रबन्ध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मुखिया या अन्य ग्राम अधिकारी, धारा 6 द्वारा किसी स्वामी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस धर्म का अनुयायी नहीं है, जिसका कि वह व्यक्ति है, जिसकी ओर से वह कार्य कर रहा है, किसी ऐसे रक्षित स्मारक, जो या जिसका कोई भाग उस धर्म की धार्मिक पूजा या कृत्यों के लिए समय-समय पर प्रयुक्त किया जाता है, के संबंध में कोई करार करने या निष्पादित करने के लिए शक्ति सम्पन्न करने वाली नहीं समझी जायेगी।

7. **करार करने में विफल रहना या उसके लिए इन्कार करना** -(1) यदि कोई भी स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो किसी रक्षित स्मारक के संधारण और देख-रेख के लिए धारा-5 के अधीन करार करने को सक्षम है, ऐसा कोई करार करने में विफल रहता है या उसके लिए इन्कार करता है तो राज्य सरकार धारा-5 की उप-धारा (2) मे निर्दिष्ट समस्त या किन्हीं भी मामलों के लिए प्रावधान करते हुए आज्ञा जारी कर सकेगी।

(2) उप धारा (1) के अधीन तब तक कोई भी आज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि स्वामी या अन्य व्यक्ति को, प्रस्तावित आज्ञा के विरूद्ध लिखित में अभ्यावेदन (Representation) देने का अवसर नहीं दिया गया हो।

राजस्थान स्मारक, **पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम**, 1961

(3) उप धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक आज्ञा से, स्वामी या ऐसा अन्य व्यक्ति तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति से, जो स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति से, के मार्फत या के अधीन स्मारक पर स्वत्त्व के लिए अध्यर्थन कर रहा हो, बाध्य होगा।

(4) उप धारा (1) के अधीन दी गई किसी आज्ञा में इस बात का प्रावधान हो कि स्मारक, करार करने के लिये सक्षम स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा संधारित किया जायेगा तो स्मारक के संधारण तथा देखरेख के लिये समस्त उचित खर्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

8. **रक्षित स्मारक की मरम्मत करने के लिए ऐण्डोमेन्ट्स** (Endowments) **का प्रयोग** :-

(1) यदि किसी रक्षित स्मारक के संधारण तथा उसकी देखरेख के लिये धारा 5 के अधीन कोई करार करने के लिये सक्षम कोई भी स्वामी या अन्य व्यक्ति ऐसा कोई करार करने के लिए इन्कार करता है या उसमें विफल रहता है तथा यदि ऐसे स्मारक को मरमतशुदा रखने के लिए या अन्य प्रयोजनों के साथ उस उस प्रयोजन के लिए किसी एण्डोमेन्ट का सृजन किया गया हो तो राज्य सरकार ऐसे ऐण्डोमेन्ट के या उसके किसी अंश के उचित प्रयोग के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद पेश कर सकेगी या यदि स्मारक की मरम्मत अनुमानित खर्च एक हजार रुपये से अधिक नही हो तो जिला न्यायाधीश को प्रार्थना पत्र भेज सकेगी।

(2) उप धारा (1) के अधीन तब किसी प्रार्थना-पत्र की सुनवाई करने पर जिला न्यायाधीश स्वामी को तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसका साक्ष्य उसे आवश्यक प्रतीत हो, सम्मन भेजकर बुला सकेगा तथा उसका बयान ले सकेगा और ऐण्डोमेन्ट या उसके किसी अंश उचित प्रयोग के लिए आज्ञा दे सकेगा और ऐसी कोइ भी आज्ञा इस प्रकार निष्पादित की जा सकेगी मानो वह किसी व्यवहार न्यायालय की डिक्री हो।

9. **करारों का पालन** :-(1) यदि कोई स्वामी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो धारा 5 के अधीन किसी रक्षित स्मारक के संधारण तथा देखरेख के लिये करार द्वारा आबद्ध है, ऐसे उचित समय के भीतर, जो संचालक निश्चित करे, ऐसा कोई काम, जो संचालक की राय में, स्मारक के संधारण तथा देखरेख के लिये आवश्यक हो, करने में विफल रहता है या करने से इन्कार करता है तो संचालक किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा और स्वामी या अन्य व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य करने के खर्च या खर्चों का ऐसा अंश जिसे देने के लिये, करार के अधीन स्वामी उत्तरदायी हो, देने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा देय खर्चे की रकम के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

10. **करार के उल्लंघन को निषिद्ध करते हुए आज्ञा देने की शक्ति**:-(1) यदि संचालक को आशंका हो कि रक्षित स्मारक का स्वामी या अभिधारक धारा 5 के अधीन करार की शर्तों के उल्लंघन में स्मारक को नष्ट करना, हानि पहुंचाना, विकृत करना, बिगाड़ना, परिवर्तित करना, विच्छिन्न करना, हटाना, खतरे में डालना या उसका दुरूपयोग करना चाहता है या उसका अपक्षय होने देना चाहता है या उसके स्थान पर या उसके नजदीक कोई निर्माण कार्य करना चाहता है तो वह, ऐसे स्वामी या अभिधारक को लिखित में अभ्यावेदन देने का अवसर देने के पश्चात्, करार के ऐसे किसी भी उल्लंघन को निषद्ध करते हुए आज्ञा दे सकेगा:

किन्तु शर्त यह है कि ऐसे किसी मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जायेगा, जिससे संचालक संतुष्ट हो जाये जिसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे कि ऐसा करना इष्टकर या व्यावहारिक नहीं है।

(2) उप धारा (1) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा द्वारा पीड़ित कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार को, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति से, जो कि निर्धारित की जाये, अपील कर सकेगा और राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

11. **स्वामी के मार्फत अध्यर्थन करने वाले खरीददार तथा व्यक्ति विलेख (Instrument) द्वारा आबद्ध होंगे**- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी कोई भी भूमि खरीदता है, जिस पर ऐसा रक्षित स्मारक स्थित है, जिसके कि संबंध में, धारा 4 या धारा 5 के अधीन स्वामी द्वारा तत्समय कोई विलेख निष्पादित कर दिया गया है, औरा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे स्वामी, जिसने ऐसा कोई भी विलेख निष्पादित किया हो, के मार्फत या के अधीन स्मारक पर या में किसी अधिकारी, स्वत्व या हित के लिये अध्यर्थन करता हो ऐसे विलेख द्वारा आबद्ध होगा।

12. **रक्षित स्मारक की अवाप्ति (Acquisition)** -(1) यदि राज्य सरकार को आशंका हो किरक्षित स्मारक को नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने विकृत किये जाने, बिगाड़े जाने, परिवर्तित किये जाने, विच्छिन्न किये जाने, हटाये जाने या उसका दुरूपयोग किये जाने का खतरा है या अपक्षय होने दिया जा रहा है तो राज्य सरकार उसे, [1](भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के प्रावधानों के अधीन तथा उनके अनुसार अवाप्त कर सकेगी मानो स्मारक का परिरक्षण, संधारण तथा देखरेख उस एक्ट के अर्थ के अन्तर्गत एक सार्वजनिक प्रयोजन हो।

(2)उप धारा (1) के अधीन कोई भी रक्षित स्मारक अवाप्त नहीं किया जायेगा-

(क) यदि कोई ऐसा स्मारक या उसका कोई भी भाग समय-समय पर धार्मिक कृत्यों के लिये प्रयोग में आता हो, या

(ख) यदि ऐसा स्मारक धारा 4 या धारा 5 के अधीन निष्पादित किये गये किसी प्रभावशाली करार का विषय हो, और

(ग) जब तक कि धारा 5 के अधीन करार करने को सक्षम स्वामी या अन्य व्यक्ति धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन, कलक्टर द्वारा उसे प्रस्तावित कोई करार, ऐसे प्रस्ताव में निर्दिष्ट अवधि के भीतर करने, में विफल नहीं हो गया हो, या

(घ) जब तक कि ऐसे स्वामी ने, धारा 6 के अधीन किए गए किसी करार को समाप्त नहीं कर दिया गया हो या समाप्त करने के अपने इरादे का नोटिस नहीं दे दिया हो।

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम सं. 24)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961

13. **कतिपय रक्षित स्मारकों का संधारण** :-(1) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक स्मारक, जो धारा 12 के अधीन अवाप्त किया गया है या जिसके संबंध में [1](धारा 4) में उल्लेखित कोई भी अधिकार अवाप्त किये गये हैं, का संधारण करेगी।

(2) जब संचालक धारा 4 के अधीन किसी रक्षित स्मारक या संरक्षण ग्रहण या स्वीकार कर लेता है तो वह ऐसे स्मारक के संधारण व उसकी देखरेख के प्रयोजन के लिये सभी उचित समयों पर स्वयं तथा अपने एजेन्टों, अधीनस्थों व मजदूरों के जरिय, स्मारक के निरीक्षण व मरम्मत के प्रयोजनार्थ तथा उसके संधारण व देखरेख के लिये सामग्री लाने के लिये व ऐसे कृत्य करने के लिए जिन्हें वह आवश्यक या वांछित समझे, स्मारक में जा सकेगा।

[2](13 **क. कतिपय संस्मारकों को बनाये रखने के लिये करार करने की शक्ति**-(1) राज्य सरकार, धारा 13 के अधीन आने वाले संस्मारकों को बनाये रखने के प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति, फर्म या न्यास से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करार कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो करार में विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) धारा 20क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, फर्म या न्यास, संस्मारकों को बनाये रखने और फीस के संग्रहण में अन्तर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, विनिधान पर युक्तियुक्त प्रत्यागम और दर्शकों के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, धारा 20क के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण फीस या उसके ऐसे भाग को और ऐसी कालावधि के लिए, जो राज्य सरकार और ऐसे व्यक्ति, फर्म या न्यास के बीच करार पायी जायें, संग्रहीत और प्रतिधारित करने का हकदार होगा।)

14. **स्वेच्छिक अंशदान**- संचालक किसी रक्षित स्मारक के संधारण के खर्चे के लिए स्वेच्दिक अंशदान ग्रहण कर सकेगा तथा वह उसके द्वारा इस प्रकार ग्रहण की गई किन्हीं भी निधियों के प्रबंध तथा प्रयोग के लिए आज्ञायें दे सकेगा;

किन्तु शर्त यह कि इस धारा के अधीन प्राप्त कोई भी अंशदान किसी प्रयोजन, जिसके लिए अंशदान दिया गया है, के अतिरिक्त, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

15. **पूजा के स्थान के दुरूपयोग किये जाने कलुषित किये जाने या अपवित्र किये जाने से रक्षा**- (1) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा संधारित कोई भी रक्षित स्मारक जो कि पूजा का स्थान या पवित्र स्थान हो, किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसके स्वरूप को, देखते हुए असंगत हो, प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

(2) जहां राज्य सरकार ने धारा 12 के अधीन किसी रक्षित स्मारक को अवाप्त कर लिया है, या

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2006, दिनांक 08.04.2006 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 10.04.2006 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''धारा-14'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. **10.04.2006**)
2. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2006, दिनांक 08.04.2006 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 10.04.2006 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. **10.04.2006**)

जहां संचालक ने धारा 4 के अधीन किसी रक्षित स्मारक को खरीद लिया है या पट्टे पर ले लिया है या उसको परिदान (Gift) या वसीयत (bequest) में दिये जाने पर ग्रहण कर लिया है या उसकी संरक्षणता ग्रहण या स्वीकार कर ली है और ऐसा स्मारक या उसका कोई भी भाग किसी भी संप्रदाय द्वारा धार्मिक पूजा या कृत्यों के लिये प्रयोग में लाया जाता है तो कलक्टर ऐसे स्मारक या उसके सिकी भाग को कलुषित या अपवित्र किये जाने से रक्षा करने लिये-

(क) उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे उस सम्प्रदाय, जिसके द्वारा स्मारक या उसका भाग प्रयोग में लाया जाता है, की धार्मिक रूढ़ियों के अनुसार इस प्रकार प्रवेश करने का अधिकार से नहीं है-का प्रवेश सिवाय उन शर्तों के अनुसार जो कि उन व्यक्तियों, यदि कोई हों की सहमति से निर्धारित की गई हो जो कि उक्त स्मारक या उसके किसी भाग के धार्मिक प्रभारी हों-निषिद्ध करके, या

(ख) ऐसे कोई कार्यवाही, जिसे वह इस संबंध में आवश्यक समझे, करके उचित व्यवस्था करेगा।

16. **रक्षित स्मारक में अधिकारों का परित्याग**- राज्य सरकार की स्वीकृति से संचालक-

(क) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी स्मारक के संबंध में किसी विक्रय, पट्टे परिदान या वसीयत के कारण कोई अधिकार अवाप्त किये गये हों, इस प्रकार अवाप्त किए गये अधिकारों को, उस व्यक्ति, जो, यदि ऐसे अधिकार अवाप्त न किये गये होते तो, स्मारक का तत्समय स्वामी होता, के हक में, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा परित्याग कर सकता है, या

(ख) किसी स्मारक के संरक्षण को, जिसे उसने इस अधिनियम के अधीन स्वीकार या ग्रहण किया हो, परित्याग कर सकता है।

17. **शास्तियां**-(1) किसी रक्षित स्मारक को नष्ट करता है, हानि पहुंचता है, विकृत करता है, बिगाड़ता है, परिवर्तित करता है, विच्छिन्न करता है, हटाता है, उसका दुरूपयोग करता है, उसको खतरे में डालता है या उसका अपक्षय होने देता है या

(2) किसी रक्षित स्मारक से किसी मूर्ति (Sclpture) तक्षण की हुई किसी चीज (Carving) प्रतिमा (Image) कम उभरी हुई खुदाई की कोई चीज (base relief) पुरालेख (inscription) या ऐसी ही अन्य वस्तु को हटाता है,

ऐसी अवधि जो [1](तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा,) या दोनों से दण्ड़नीय होगा।

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''छः माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा''के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

(2) जो भी कोई-

(1) किसी रक्षित स्मारक का स्वामी या अभिधारक होते हुए धारा 7 या धारा 10 के अधीन की गई आज्ञा का उल्लंघन करता है, या

(2) इस अध्याय के किसी भी अन्य प्रावधान जिसके उल्लंघन के लिये उसमें किसी भी दण्ड़ का और कहीं भी प्रावधान नहीं रखा गया है, का उल्लंघन करता है इस प्रकार के दण्ड़ से दण्ड़नीय होगा।

18. **रक्षित स्मारकों के नजदीक खान आदि खोदने पर नियन्त्रण रखने की शक्ति**-(1) यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि किसी रक्षित स्मारक की रक्षा या परिरक्षा के प्रयोजन के लिए खनन (Mining), उत्खनन (Quarrying), समुत्खनन (Excavating), उत्स्फोटन (Blasting) तथा इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियों को नियन्त्रित या नियमित किया जाना चाहिये तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा -

(क) उस क्षेत्र, जिस पर कि नियम लागू होंगे, की सीमाओं को निश्चित करते हुए,

(ख) ऐसे नियमों के अनुसार के सिवाय तथा किसी लाइसन्स की शर्तों के अधीन तथा अनुसार के अलावा अन्यथा खनन, उत्खनन, समुत्खनन, उत्स्फोटन तथा इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियों के किये जाने का निषेध करते हुए तथा

(ग) उक्त कार्यवाहियों में से कोई भी कार्यवाही चालू करने के लिये उस प्राधिकारी को, जिसके कि द्वारा, और वे शर्तों जिन पर लाइसेन्स मंजूर किये जा सकते हैं निर्धारित करते हुए, नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये नियम में इस बात का प्रावधान हो सकेगा कि उनका उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे जुर्माने से, जो [1](पांच हजार) रुपये तक का हो सकता है, दण्ड़नीय होगा।

19. **रक्षित स्मारकों की या को सुविधाओं का परिरक्षण**- (1) यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि किसी रक्षित स्मारक को या की सुविधाओं की परिरक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे स्मारक के स्थान को समाविष्ट करने वाले तथा के निकटवर्ती तथा ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र जिसका इससे आगे नियन्त्रित क्षेत्र के नाम से उल्लेख किया गया है, के संबंध में -

(क) नियन्त्रित क्षेत्र के भीतर जमीन के ऊपर भवनों, संरचनाओं तथा अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण, उच्छयण (erection) या निष्पादन को ऐसे भवनों, संरचनाओं या निर्माण कार्यों का इस प्रकार परिवर्तन या विस्तार करने को, जिससे कि उनके बाह्य रूप पर सारभूत रूप से प्रभाव पड़ता हो, निषिद्ध या नियन्त्रित कर सकेगी,

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द "200 रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

(ख) नियन्त्रित क्षेत्र के भीतर जमीन के ऊपर भवनों, संरचनाओं तथा अन्य निर्माण कार्यों को करने के लिए स्थिति, ऊंचाई, साईज, डिजाइन, सामग्री, रंग तथा प्रच्छादन (screening) निर्धारित कर सकेगी तथा उनके बाह्म रूप को अन्यथा नियमित कर सकेगी,

(ग) किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से -

(1) किसी भी रक्षित स्मारक तक कोई आवागम सड़क (Approach Road) बनाने की, या

(2) उसमें निहित किसी भी सार्वजनिक सुविध के स्थान, अर्थात किसी शौचालय, मूत्रालय, धूलीभांड (dust bin) तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान को, जो कि किसी भी रक्षित स्मारक के नजदीक या पड़ौस में स्थित हो, को गिराने की, अपेक्षा कर सकेगी,

(घ) नियन्त्रित क्षेत्र में वृक्षों को गिराने को निषिद्ध या नियंत्रण कर सकेगी,

(ड) नियन्त्रित क्षेत्र में भूमि के प्रयोगकर्त्ता (user) को, ऐसी सीमा तक, जो राज्य सरकार को, रक्षित स्मारक को या की सुविधाओं की परिरक्ष के प्रयोजन के लिए इष्टकर प्रतीत हो अन्यथा नियन्त्रित कर सकेगी।

(च) ऐसे मामलों के लिए जो राज्य सरकार को, इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के लिये प्रासंगिक (Incidental) या आनुषंगिक (Consequential) प्रतीत हों या उन प्रावधानों को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, व्यवस्था कर सकेगी।

(2) उप धारा (1) के अधीन कोई विज्ञप्ति जारी करने के कम से कम पैतालीस दिन पूर्व राज्य सरकार गजट में, नियन्त्रित क्षेत्र में तथा गांव में तथा उ तहसील जिसमें नियन्त्रित क्षेत्र स्थित है, के मुख्यालय में, एक विज्ञप्ति प्रकाशित करायेगी, जिसमें यह बतलाया जायेगा कि वह (राज्य सरकार) उपधारा (1) की शर्तों के अनुसार एक विज्ञप्ति जारी करना चाहती है तथा सथ ही एक नोटिस भी जारी करा चाहती है, जिसमें ऐसी विज्ञप्ति द्वारा प्रभावित ऐसे समस्त व्यक्तियों से, जो ऐसी किसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर कोई आपत्ति उठाना चाहते हैं, यह अपेक्षा की जायेगी कि सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन से एक मास के भीतर या नियन्त्रित क्षेत्र में विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, वे अपनी आपत्तियां राज्य सरकार को लिखित में पेश करें, या ऐसे किसी भी अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों जिसे सरकार की ओर से आपत्तियां सुनने के लिए इस संबंध में यथाविधि प्राधिकृत किया गया हो।

(3) यदि आपत्तियां पेश करने के लिए उप-धारा (2) द्वारा अनुमत किये गये समय की समाप्ति से पूर्व में कोई भी आपत्ति नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन तुरन्त विज्ञप्ति जारी करेगी। यदि ऐसी कोई आपत्ति की जाती है तो राज्य सरकार समस्त आपत्तियों पर विचार करने या उनकी सुनवाई करने, जैसी भी दशा हो, के पश्चात् या तो-

(क) उप-धारा (1) अधीन विज्ञप्ति जारी करने का विचार छोड़ देगी, या

(ख) उप-धारा (1) अधीन, ऐसे रूपान्तरों सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे, विज्ञप्ति जारी करेगी।

(4) आपत्तियों पर विचार करने में, उप-धारा (1) अधीन विज्ञप्ति जारी करने के प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अनितम एवं निश्चायक होगा।

(5) उप-धारा (1) अधीन किसी विज्ञप्ति में निहित कोई भी बात, भूमि के ऊपर से किसी भी भवन, संरचना या अन्य निर्माण कार्य या उनके किसी परिवर्तन या विस्तार के ऊपर काई प्रभाव नहीं डालेगी यदि वह उ तारीख, जब कि उप-धारा (2) के अधी ऐसी विज्ञप्ति जारी करने के इरादे का नोटिस दिया गया था, से पूर्व निर्मित किया गया हो, बनाया गया हो या निष्पादित किया गा हो और इस प्रावधन के प्रयोजन के लिए कोई भवन, संरचन या अन्य निर्माण कार्य तथ उनमें कोई भी परिवर्तन या विस्तार, उस तारीख से पूर्व निर्मित किया गया बनाया गया, या निष्पादित किया गया समझा जायेगा-

(क) यदि उसका निर्माण, उच्छयण (erection) या निष्पादन उस तारीख से पूर्व शुरू कर दिया गया हो, या

(ख) यदि और जहां तक उसका निर्माण उच्छयण या निष्पादन, उस तारीख से पूर्व किये गये किसी ठेके को पूरा करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक रहा हो।

(6)उप-धारा (1) के अधीन की गई किसी विज्ञप्ति के किन्हीं प्रावधानों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह दोष सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड़ से दण्डित किया जायेगा जो प्रत्येक दिन जिसमें, उल्लंघन हुआ है या चालू रहता है, के लिए [1](तीन हजार) रुपये से अधिक नहीं होगा।

(7) यदि इस तथ्य के कारण कोई भी भवन, संरचना या अन्य निर्माण कार्य उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, उप धारा (6) के अधीन किसी भी व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने के पश्चात् ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि उस न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाये, जिसके कि समक्ष वह दोषी सिद्ध हुआ था उल्लंघन चालू रहता है तो राज्यसरकार को उन समस्त कृत्यों को करने की शक्ति होगी, जो उसकी राय में भवन, संरचना या अन्य निर्माण कार्य का उतना अंश हटाने के लिए तथा विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार उसे बनाने के लिए आवश्यक हों, जो कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, और ऐसा करने में राज्य सरकार द्वारा दिये गये खर्चे, दोषी सिद्ध हुए व्यक्ति से, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगे।

20. **रक्षित स्मारकों में जाने का अधिकार**- (1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन जनता को, प्रत्येक रक्षित स्मारक में जाने का अधिकार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार इस बात का प्रावधान रख सकती है कि उसका भंग ऐसे अर्थदण्ड़ से, जो कि [1](तीन हजार) रुपयों तक का हो सकता है, दण्ड़नी होगा।

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''एक सौ'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961

[1](20 **क. प्रवेश फी का उद्ग्रहण करने की शक्ति** :-(1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संरक्षित संस्मारकों के सबंध में और ऐसी दरों से जो प्रति व्यक्ति दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक न हो और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, प्रवेश फीस का उद्ग्रहण कर सकेगी:

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह, व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को, वैसी ही अधिसूचना द्वारा प्रवेश फीस के संदाय से पूर्णत: या भागत: छूट दे सकेगी।

(2) ऐसी प्रवेश फीस, जब इस प्रकार उद्गृहित की जाये, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार संग्रहीत की जायेगी।

अध्याय-3

रक्षित क्षेत्र

21. **रक्षित क्षेत्र की अवाप्ति** - यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी भी रक्षित क्षेत्र में कोई प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक है या ऐतिहासिक, पुरातत्त्व संबंधी या कलात्मक महत्त्व, रूचि या मूल्य की प्राचीन वस्तुयें है तो वह 2(भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के प्रावधानों के अधीन तथा उनके अनुसार ऐसे क्षेत्र को अवाप्त कर सकेगी मानों उसकी अवाप्ति उस एक्ट के अर्थ के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की गई थी।

22. **रक्षित क्षेत्रों में सम्पत्ति संबंधी अधिकारों पर नियन्त्रण**-(1) किसी रक्षित क्षेत्र के स्वामी या अभिधारक को सम्मिलित करते हुए कोई भी व्यक्ति रक्षित क्षेत्र के भीतर कोई भी भवन नहीं बनायेगा न ऐसे क्षेत्र में कोई खनन (Mining), उत्खनन (Quarrying), समुत्खनन (Excavating), उत्स्फोटन (Blasting) या किसी तरह की कोई कार्यवाही करेगा और न ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग को, राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य तरीके उपयोग में नहीं लायेगा:

किन्तु शर्त यह है कि इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग को, खेती के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाने से निषेध करने वाली नहीं समझी जायेगी, यदि ऐसी खेती में भू-तल से एक फुट से अधिक गहरी मिट्टी नहीं खोदनी पड़े।

(2) राज्य सरकार, आज्ञा द्वारा निदेश दे सकेगी कि उप-धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी रक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया गया कोई भी भवन, निर्दिष्ट समय के

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.04.2006 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 10.04.2006 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 10.04.2006)
2. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम सं. 24)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

भीतर हटा दिया जायेगा और, यदि वह व्यक्ति आज्ञा का पालन करने से इन्कार करता है या उसमें विफल रहता है तो कलक्टर उस भवन को हटवा सकेगा और वह व्यक्ति इस प्रकार हटाये जाने के खर्चे को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।

23. **पुरातत्त्व संबंधी या ऐतिहासिक प्रयोजनों के लिए खुदाई** - (1) कोई पुरातत्व अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निर्धारित रीति से इस संबंध में मंजूर किये गये लाईसेन्स को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति (जिसका इसमें इससे आगे लाइसेन्सधारी के रूप में उल्लेख किया गया है) कलक्टर तथा स्वामी को लिखित में नोटिस देने के पश्चात् किसी भी रक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा तथा खुदाई कर सकेगा।

(2) जहां किसी पुरातत्त्व अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भी क्षेत्र में, रक्षित क्षेत्र नहीं है, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्त्व महत्व के खण्डहर (Ruins) या अवशेष (Relics) है तो वह इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, कलक्टर तथा स्वामी को लिखित में नोटिस देने के पश्चात् उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा तथा खुदाई कर सकेगा।

24. **खुदाई पर प्रतिबंध** - (1) सिवाय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के तथा सिवाय ऐसे नियमों व निर्देशों, यदि कोई हो, जो केन्द्रीय सरकार बनाये या इस संबंध में से, धारा 23 में किसी भी बात के निहित होते हुए भी पुरातत्व संबंधी या ऐतिहासिक प्रयोजनों के लिए कोई भी खुदाई या इस तरह की अन्य कार्यवाही किसी भी क्षेत्र में नहीं की जायेगी और न किये जाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

(2) जहां धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का, किसी भी भूमि के धरातल के अभिधारण से या खोदने से हनन होता है तो राज्य सरकार ऐसे हनन के लिये उस व्यक्ति को मुआवजा देगी।

25. **खुदाई के दौरान प्राचीन वस्तुओं आदिका व्यवस्थापन** - (1) जहां धारा 23 के अधीन किसी भी क्षेत्र में की गई किसी भी खुदाई के फलस्वरूप कोई प्राचीन वस्तुयें प्राप्त होती है तो पुरातत्व अधिकारी या लाइसेन्सधारी, जैसी भी दशा में हो-

(क) यथा व्यवहार्य शीघ्र ऐसी प्राचीन वस्तुओं की परीक्षा करेगा और ऐसी रीति से तथा ऐसे विवरणों सहित, जो कि निर्धारित किये जायें, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगा, और

(ख) खुदाई की कार्यवाहियों के समाप्त होने पर उस भूमि, जहां से ऐसी प्राचीन वस्तुयें प्राप्त हुई हैं, के स्वामी को ऐसी प्राचीन वस्तुओं के स्वरूप के संबंध में लिखित नोटिस देगा।

(2) ऐसी समस्त प्राचीन वस्तुयें रक्षित प्राचीन वस्तुयें समझी जायेंगी और जब तक उसके व्यवस्थापन या अनिवार्य रूपसे खरीदने के लिये राज्य सरकार की आज्ञायें प्राप्त न हो जाये तब तक पुरातत्व अधिकारी या लाइसेन्सधारी, जैसी भी दशा हो, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा, जैसी कि वह उचित समझे, में रखेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी किन्हीं भी प्राचीन वस्तुओं को, उनके बाजार भाव पर, अनिवार्य रूप से खरीदने की आज्ञा दे सकेगी।

(4) जब उप-धारा (3)के अधीन किन्हीं भी प्राचीन वस्तुओं को अनिवार्य रूप से खरीदने की आज्ञा दे दी जाये तो प्राचीन वस्तुयें, आज्ञा की तारीख से राज्य सरकार में निहित रहेगी।

26. **अध्याय का उल्लंघन**- जो कोई भी इस अध्याय के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई भी कार्य करता है और, ऐसे उल्लंघन के लिए उसमें अन्यत्र किसी भी दण्ड़ का प्रावधान नहीं रखा गया है, वह कारावास की ऐसी अवधि से, [1](3 वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा) या दोनों से दण्ड़नीय होगा।

27. **रक्षित क्षेत्रों में खुदाई का नियमन**- (1) राज्य सरकार-

(क) उन प्राधिकारियों को निर्धारित करते हुए, जिनके द्वारा रक्षित क्षेत्र में, पुरातत्व संबंधी तथा ऐतिहासिक प्रयोजनों के लिए खुदाई के लाइन्सेन्स मंजूर किये जा सकते है,

(ख) उन शर्तों का नियमन करते हुए, जिन पर कि ऐसे लाइन्सेन्स मंजूर किये जा सकते है तथा ऐसे लाइसेन्सों के प्रपत्र को तथा लाइसेन्सधारियों से प्रतिभूति लेने का नियमन करते हुए,

(ग) उस रीति को निर्धारित करते हुए, जिसमें लाइसेन्सधारी द्वारा प्राप्त पुरावस्तुओं काव्यवस्थानपन किया जायेगा, और

(घ) सामान्यत: इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) ऐसे नियम समस्त रक्षित क्षेत्रों के लिए फिलहाल एक समान होगे या किसी विशेष रक्षित क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये विशेष हो सकते है और इन नियमों में यह प्रावधान हो सकता है कि किसी भी नियम का या लाईसेन्स की किसी भी शर्त का भंग करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपयों तक का हो सकेगा, दण्ड़नीय होगा तथा उनमें यह भी प्रावधान किया जा सकता है कि जहां यह लाइसेन्सधारी के एजेन्ट या नौकर द्वारा भंग किया जाये तो, स्वयं लाइसेन्सधारी दण्ड़नीय होगा।

अध्याय-4

रक्षित प्राचीन वस्तुयें

28. **रक्षित प्राचीन वस्तुओं के स्थानान्तरण को नियन्त्रित की सरकार की शक्ति**-(1) यदि राज्य सरकार यह समझे कि कोई भी रक्षित प्राचीन वस्तुयें या रक्षित प्राचीन वस्तुओं का कोई वर्ग उस

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''छ: माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

स्थान से, जहां पर वे रखी हो, राज्य सरकार की बिना अनुमति के है, स्थानान्तरित नहीं की जानी चाहिये तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी कोई भी रक्षित प्राचीन वस्तु या ऐसी रक्षित प्राचीन वस्तुओं का कोई वर्ग सिवाय संचालक की लिखित अनुमति के स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुमति के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे विवरण होगे जो निर्धारित किये जाये।

(3) अनुमति देने से इन्कार करने की आज्ञा द्वारा पीड़ित कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका कि निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के उल्लंघन में किसी रक्षित पुरावस्तु को स्थानान्तरित करता है, ऐसे जुर्माने से, जो [1](पन्द्रह हजार) रुपये तक का हो सकता है, दण्ड़नीय होगा।

(5) यदि किसी सम्पत्ति का स्वामी, राज्य सरकार को संतुष्ट करते हुए यह सिद्ध कर देता है है कि उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में ऐसी सम्पत्ति को शामिल करने के कारण उसे कोई घाटा या क्षति हुई हो तो राज्य सरकार-

(क) उक्त विज्ञप्ति से ऐसी सम्पत्ति को मुक्त कर सकेगी, या

(ख) ऐसी सम्पत्ति को उसके बाजार भाव पर खरीद सकेगी, या

(ग) ऐसी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा उठाये गये किसी घाटे या क्षति के लिये मुआवजा दे सकेगी।

29. **सरकार द्वारा रक्षित प्राचीन वस्तुओं की खरीद** - (1) यदि राज्य सरकार को यह आशंका हो कि धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में उल्लेखित कोई प्राचीन वस्तु नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने, विकृत किये जाने, बिगाड़े जाने, परिवर्तित किये जाने, हटाये जाने, विछिन्न किये जाने, दुरूपयोग किये जाने या अपक्षय होने के लिये पड़ी रहने दे जाने के खतरे में है या उसका (राज्य सरकार का) यह विचार हो कि उस वस्तु के ऐतिहासिक या पुरातत्व या कलात्मक महत्व के कारण ऐसी प्राचीन वस्तु को किसी सार्वजनिक स्थान पर परिरक्षित किया जाना वांछनीय है तो राज्य सरकार ऐसी प्राचीन वस्तु को बाजार मूल्य पर अनिवार्य रूप से खरीदने के लिये आज्ञा दे सकेगी और तदुपरान्त कलक्टर खरीदी जाने वाली प्राचीन वस्तु के स्वामी को नोटिस देगा:

किन्तु शर्त यह है कि इस उप-धारा द्वारा दी गई खरीदने की शक्ति ऐसी किसी प्रतिमा या प्रतीक, जो वास्तव में, सद्भाव से धार्मिक कृत्यों के लिये प्रयोग में आता है, के लिये लागू नहीं होगी।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी प्राचीन वस्तु की अनिवार्य खरीद के लिये कोई नोटिस जारी किया जाये तो ऐसी प्राचीन वस्तु नोटिस की तारीख से राज्य सरकार में निहित होगी।

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''पांच सौ'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961

अध्याय-5
विविध

30. **सलाहकार बोर्ड का गठन**- (1) राज्य में प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व संबंधी स्थानों तथा प्राचीन वस्तुओं के परिरक्षण, संधारण, देखरेख, रक्षा, अवाप्ति, विनियमन तथा नियंत्रण के मामले में राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार ''प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व संबंधी स्थानों एवं प्राचीन वस्तुओं के लिये राजस्थान बोर्ड'' के नाम से सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी।

(2)सलाहकार बोर्ड का संविधान तथा उसकी कार्य संबंधी प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि निर्धारित की जाये।

31. **घाटे या हानि के लिए मुआवजा**- भूमि के किसी स्वामी या अभिधारक, जिसने कि ऐसी भूमि पर प्रवेश या खुदाई करने या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी अन्य शक्ति के प्रयोग के कारण कोई घाटा या हानि उठाई हो या जिसको कि लाभ में कोई कमी हुई हो,को ऐसे घाटे, हानि या लाभों में कमी के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जायेगा।

32. **बाजार मूल्य या मुआवजे का निर्धारण** - (1) ऐसी किसी भी सम्पत्ति, जिसको इस अधिनियम के अधीन ऐसे मूल्य पर खरीदने के लिये राज्य सरकार शक्ति सम्पन्न है, का बाजार मूल्य या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी भी कार्य या अवाप्त की गई किसी भी सम्पत्ति के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाने पर, [1](भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1)के प्रावधानों, जहां तक कि वे प्रावधान लागू किये जा सकते हों में प्रवाहित रीति से निर्धारित किया जायेगा: किन्तु शर्त यह है कि उक्त एक्ट के अधीन जांच करते समय कलक्टर की सहायता के लिये दो असैसर (निर्धारक) होगें, जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा मनोनित सक्षम व्यक्ति होगा और दूसरा, स्वामी द्वारा मनोनीत व्यक्ति या उस दशा में जब कि कलक्टर द्वारा इस संबंध में निश्चित किये गये उचित समय के भीतर स्वामी कोई असैसर मनोनित करने में विफल रहता है तो कलक्टर द्वारा मनोनित व्यक्ति होगा।

(2) उप-धारा (1) में या [1](भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी किसी भी प्राचीन वस्तु-जिसके कि संबंध में धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन या धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन अनिवार्य खरीद के लिये कोई आज्ञा दे दी गई है-का बाजार मूल्य निर्धारित करने में प्राचीन वस्तु के मूल्य में उसके ऐतिहासिक, पुरातत्व या कलात्मक महत्व, रूचि या मूल्य की होने के कारण हुई किसी भी वृद्धि का विचार नहीं किया जायेगा।

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम सं. 24)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)

राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961

33. **शक्तियां सौपना**- राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश दे सकेग कि इस अधिनियम की अधीन उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाने योग्य काई भी शक्ति, ऐसी शर्तो के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाये, संचालक या किसी भी अन्य अधिकारी, जो कलक्टर के पर के नीचे का नहीं हो, जैसा कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, के द्वारा प्रयोग में लाई जा सकेगी।

34. **न्यायालयों का क्षेत्राधिकार**- कोई भी न्यायालय, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नकोटि का हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध पर वैधिक विचार नहीं करेगा।

35. **प्रक्रिया संबंधी विशेष प्रावधान** -[1](कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसीजर, 1898) (सेन्ट्रल एक्ट 5 ऑफ 1898) में किसी भी बात के होते हुए भी-

(क) [1](धारा 17 की उप-धारा (1)) के अधीन कोई अपराध उस कोड के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप्य (Cognizable) अपराध समझा जायेगा, और

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से शक्ति सम्पन्न किये गये प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट के लिए किसी ऐसे अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन दो हजार रुपयों से अधिक के जुर्माने से दण्ड़नीय है, के दोषी सिद्ध हुए किसी भी व्यक्ति को दो हजार रुपयों से अधिक के जुर्माने की सजा देना विधि संगत होगा।

36. **सरकार को देय रकमों की वसूली**- इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को देय कोई भी रकम, संचालक या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पुरातत्व अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, उसी रीति से वसूल की जायेगी जिस प्रकार भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

37. **इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का रक्षण**- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध मुआवजे के लिये कोई भी वाद तथा कोई भी फौजदारी की कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

[2](37**क**. **भूल की परिशुद्धि**- इस अधिनियम के अधीन संरक्षित घोषित किये गये किसी प्राचीन या ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल या पुरावशेष के वर्णन में किसी भी लिपिकीय भूल, प्रत्यक्ष गलती या आकस्मिक चूक या लोप से उद्भूत होने वाली किसी गलती को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ठीक किया जा सकेगा।)

38. **नियम बनाने की शक्ति**- (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये नियम बना सकेगी।

----

1. कृपया दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) के प्रावधान देखें।
2. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''धारा-37 क'' जोड़ा गया। (w.e.f. 25.05.2007)

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमों में ऐसे समस्त मामलों के लिए व्यवस्था की जा सकती है जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन नियमों द्वारा निर्धारित किये जायें या जिनके निर्धारित किये जाने की अपेक्षा की जाये या जिनके लिए नियमों द्वारा प्रावधान किये जाये या प्रावधान किये जाने की अपेक्षा की जाये।

(3)इस धारा के अधीन बनाये गये किसी भी नियम में यह प्रावधान हो सकेगा कि उसका उल्लंघन ऐसे जुर्माने से, जो [1](एक लाख) रुपयों तक का हो सकता है, दण्ड़नीय होगा।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखे जायेंगे और उनमें ऐसे रूपान्तरण किये जायेंगे जो वह सदन, उस सत्र के दौरान, जिसमें 24क वे इस प्रकार रखे जाते हैं या उसके तुरन्त पश्चात् के सत्र के दौरान में, उसमें करें।

39. **निरसन तथा परित्राण**- केन्द्रीय विधानमण्डल का ऐन्शियन्ट मोन्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 जैसा कि प्राक्पुनर्गठित राजस्थान राज्य के लिए अनूकूलित किया गया या जैसा कि आबू तथा अजमेर क्षेत्रों के लिए लागू होता है तथा किसी भी राज्य विधान मण्डल की ऐसी ही अन्य विधियां, जो राज्य के किसी भी भाग में फिलहाल प्रभावशील हो, इस अधिनियम के प्रभावशील होने पर, सिवाय उन बातों के संबंध में, जो इस अधिनियम के प्रभावशील होने से पूर्व की गई हों या नहीं की गई हों, प्रभाव शून्य हो जायेंगी।

----

1. अधिसूचना सं. प.2(16)विधि/2/2007, दिनांक 08.10.2007 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4क, दिनांक 09.10.2007 पर प्रकाशित) द्वारा शब्द ''पांच हजार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 25.05.2007)